रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन, 2015

18वीं परिषद का वर्तमान कार्यकाल (चार वर्ष) दिनांक 21 जुलाई, 2015 को समाप्त हो जाएगा। 22 जुलाई, 2015 को 2015-2019 के कार्यकाल के लिए 19वीं परिषद और 4 क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने के प्रयोजनार्थ संस्थान की परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार आयोजित किए जाएंगे :

परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन की तारीखें और अन्य मामले

सं. ईएल-2015/1.—यथासंशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन), नियम 2006 (नियम) के नियम 3 और 4 और अन्य लागू नियमों के साथ पठित यथासंशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम,1959 (अधिनियम) की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) और यथासंशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 (विनियम), के विनियम 114, 115,118 और 121 तथा अन्य लागू विनियमों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के निर्वाचन अधिकारी एतद्वारा वर्ष 2015 में परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन करवाने हेतु निम्नानुसार अधिसूचना जारी करते हैं:

1.	नियमावली के नियम 4 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना जारी करने की तारीख		सोमवार, 16 फरवरी, 2015
2.	नियमावली के नियम 9, 10, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 30, 32 और 35 के साथ पठित नियम 4 और कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 114, 115, 118 और 121 तथा अन्य लागू नियमों और विनियमों के अनुसरण में परिषद ने चुनाव करवाने के लिए निम्नलिखित तारीखें निर्धारित की हैं, अर्थात:		
	क)	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय [नियम 4 (2) (क) तथा 9]	सोमवार, 23 मार्च, 2015 को सायं 6.00 बजे तक
	ख)	नामांकनों की जांच करने की तारीख और स्थान [नियम 4 (2) (ख) तथा 12]	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12 सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016 स्थित मुख्यालय में सोमवार, 30 मार्च, 2015 और मंगलवार 31 मार्च, 2015
	ग)	नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख और समय [नियम 4 (2) (ग) तथा 14]	शुक्रवार 10 अप्रैल, 2015 को सायं 6.00 बजे तक ।
	घ)	मतदान की तारीख और समय [नियम 4 (2) (घ) 21 तथा 29]	**कोलकाता**: शुक्रवार, 5 जून, 2015 शनिवार, 6 जून, 2015 (प्रात: 8:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक) **अन्य स्थान**: शुक्रवार 5 जून, 2015 प्रात: (8:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक)
	ड.)	डाक द्वारा मतदान की अनुमति लेने के लिए आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय [नियम 4 (2) (ड.) तथा 28]	बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2015 को सायं 6.00 बजे तक।
	च)	मतदाताओं से डाक द्वारा मतदान पत्र की वापस प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय [नियम 4 (2) (च)]	शुक्रवार, 5 जून, 2015 को सायं 6.00 बजे तक ।
	छ)	मतगणना शुरू करने की तारीख और समय [नियम 4 (2) (छ) तथा 32]	सोमवार, 15 जून, 2015, मंगलवार, 16 जून, 2015, बुधवार, 17 जून, 2015 और बृहस्पतिवार, 18 जून, 2015 (प्रतिदिन प्रात: 10.00 बजे से)
.	ज)	परिणाम घोषित किए जाने की तारीख [नियम 4 (2) (ज) तथा 35]	शुक्रवार, 19 जून, 2015
3.	परिषद द्वारा निर्वाचन के लिए निर्धारित किया गया शुल्क (नियम 10)		25,000/- रूपए (पच्चीस हजार रूपए केवल)
4.	उम्मीदवार द्वारा देय जमानत राशि [नियम 11]		20,000/- रूपए (बीस हजार रूपए केवल)
5.	नामांकन पत्रों की जांच के लिए पैनल के सदस्यों के नाम [नियम 12]		1. श्री सुरेश पाल परिषद में सरकारी नामिती, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

		2. श्री प्रमोद कुमार परिषद में सरकारी नामिती, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, 3. श्री कौशिक बनर्जी निर्वाचन अधिकारी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।

अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों के संगत उपबंध इन निर्वाचनों पर लागू होंगे।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./71]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

ELECTIONS TO THE COUNCIL AND THE REGIONAL COUNCILS, 2015

The present (four-year) term of the Eighteenth Council will come to an end on July 21, 2015. For the purpose of constituting Nineteenth Council on July 22, 2015 and four Regional Councils for the term 2015-2019, elections to the Council and to the four Regional Councils of the Institute will be held as per the following notifications:

Dates of elections to the Council and the Regional Councils and other matters

No. EL-2015/1.—In pursuance of clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act,1959 as amended (the Act) read with Rules 3 & 4 and other applicable Rules of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 as amended (the Rules) and Regulations 114, 115, 118 & 121 and other applicable Regulations of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 as amended (the Regulations), the Returning Officer of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies the following for the conduct of elections to the Council and the Regional Councils in the year 2015:

1.	Date of issue of Notification for the purpose of Rule 4 of the Rules		Monday, the 16th February, 2015
2.	In pursuance of Rule 4 read with Rules 9, 10, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 30, 32 and 35 of the Rules and Regulations 114, 115, 118 & 121 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 and other applicable Rules and Regulations, the Council has fixed the following dates for the conduct of elections, viz.		
	a)	the last date and time for receipt of nominations [Rule 4 (2) (a) and 9]	Monday, the 23rd March, 2015 up to 6.00 P.M.
	b)	the date and place of scrutiny of nominations [Rule 4 (2) (b) and 12]	Monday, the 30th March, 2015 & Tuesday 31st March, 2015 at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016.
	c)	the last date and time for withdrawal of nominations [Rule 4 (2) (c) and 14]	Friday, the 10th April, 2015 up to 6:00 P.M.
	d)	the dates and time of polling [Rule 4 (2) (d), 21 and 29]	**Kolkata:** Friday, the 5th June, 2015 Saturday, the 6th June, 2015 (From 8:00 A.M. to 7:00 P.M.)

			Other Places: Friday, the 5th June, 2015 (From 8:00 A.M. to 7:00 P.M.)
	e)	the last date and time for receipt of applications for permission to vote by post [Rule 4 (2) (e) and 28]	Thursday, the 2nd April, 2015 up to 6. 00 P.M.
	f)	The last date and time for receipt by post of ballot papers back from voters [Rule 4 (2) (f)]	Friday, the 5th June, 2015 up to 6:00 P.M.
	g)	the date and time of commencement of counting of Votes [Rule 4 (2) (g) and 32]	Monday, the 15th June, 2015, Tuesday, the 16th June, 2015, Wednesday, the 17th June, 2015 and Thursday, the 18th June, 2015 (from 10.00 A.M. onwards each day)
.	h)	The date of declaration of results [Rule 4 (2) (h) and 35]	Friday, the 19th June, 2015
3.	Fee for election fixed by the Council (Rule 10)		Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only)
4.	Security Deposit payable by the candidate [Rule 11]		Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)
5.	Names of the members of the panel for scrutiny of nomination papers [Rule 12]		1. Shri Suresh Pal Government Nominee on the Council, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs. 2. Shri Pramod Kumar Government Nominee on the Council, Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board. 3. Shri Kaushik Banerjee Returning Officer, The Institute of Cost Accountants of India

The relevant provisions of the Act, the Rules, the Regulations and other applicable laws shall apply to these elections.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के लिए निर्वाचन

सं. ईएल-2015/2.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि:

(क)	कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या	15 (पन्द्रह)
(ख)	अनुसूची 3 के साथ पठित नियम 8 और अनुसूची 1 के साथ पठित नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या	

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	**निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या**
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	3 (तीन)
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	5 (पांच)
पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	4 (चार)
उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	3 (तीन)
कुल	**15 (पन्द्रह)**

परिषद दिनांक 5 और 6 जून, 2015 को होने वाले उन्नसवीं परिषद के लिए निर्वाचन में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित करती है । इन उम्मीदवारों को कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 9 में विनिर्दिष्ट ढंग से अपने नामांकन पत्र श्री कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को (नाम से) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता-700 016 स्थित मुख्यालय में एक बंद लिफाफे में भेजने चाहिए जिस पर ''परिषद के लिए निर्वाचन 2015-2019 हेतु नामांकन पत्र'' लिखा हो और यह नामांकन पत्र सोमवार, 23 मार्च, 2015 को सायं 6 बजे तक उनके पास पहुंच जाए ।

उम्मीदवार कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 की पूरी जानकारी लेने के लिए संस्थान की वैबसाइट: www.icmai.in को देख सकते हैं। नामांकन पत्र उक्त नियम के उप-नियम (3) के अंतर्गत संस्थान की परिषद द्वारा अनुमोदित और नियम 9 में विनिर्दिष्ट किए गए प्रपत्र में होंगे । नामांकन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

नियम 10 में किए गए उपबंध के अनुसार नामांकन पत्रों के साथ 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए केवल) का एक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में और कोलकाता में देय होगा । नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसार उम्मीदवार अधिकतम 10 नामांकन पत्र जमा करा सकते हैं ।

चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नियम 10 में यथाउल्लिखित शुल्क के अलावा, नियम 9 के अंतर्गत दायर नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार नहीं करते हुए, नियम 11 में यथाउल्लिखत जमानत राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए केवल) की राशि देनी होगी जो सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में और कोलकाता में देय होगा ।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Elections to the Council of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2015/2.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 9 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Council of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies that:

(a) Total number of members to be elected to the Council from all regional constituencies under clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 — 15 (Fifteen)

(b) Number of members to be elected for each regional constituency as specified in Rule 8 read with Schedule 3 and Rule 3 read with Schedule 1

Name of the Constituency	**Number of members to be elected**
Western India Regional Constituency	3 (Three)
Southern India Regional Constituency	5 (Five)

Eastern India Regional Constituency	4 (Four)
Northern India Regional Constituency	3 (Three)
Total:	15 (Fifteen)

The Council invites nomination of candidates who desire to stand for elections to the Nineteenth Council scheduled to be held on 5th & 6th June, 2015. They should deliver their nominations in the manner specified in Rule 9 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 to Shri Kaushik Banerjee, Returning Officer, The Institute of Cost Accountants of India (By Name) in a closed envelope superscribing on it "Nomination for Council Election 2015 - 2019" at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016 so as to reach him not later than 6:00 P.M. on Monday, the 23rd March, 2015.

Candidates may visit the Institute's website: www.icmai.in for familiarizing themselves with the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006. The nomination shall be in the form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and as specified in Rule 9 of the said Rules. Nomination forms can be downloaded from the website of the Institute.

Nominations shall be accompanied by a fee of Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) by Demand Draft, payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India as provided in Rule 10. Candidates can submit maximum number of ten nominations as per sub-rule (2) of Rule 9.

Every candidate standing for election in addition to fee as provided in Rule 10, shall pay, irrespective of the number of nominations filed under Rule 9, an amount of Rs.20,000/- (Rupees twenty thousand only) by Demand Draft payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, as security deposit as provided in Rule 11.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन

सं. ईएल-2015/3.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 114 के उप-विनियम (2) और विनियम 118 के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन नीचे यथाविनिर्दिष्ट ढंग से आयोजित किए जाएंगे:

क्षेत्रीय परिषद का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	7 (सात)
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	10 (दस)
पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	8 (आठ)
उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	7 (सात)
कुल	**32 (बत्तीस)**

परिषद दिनांक 5 और 6 जून, 2015 को होने वाले किसी क्षेत्रीय परिषद के लिए निर्वाचन में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र आमंत्रित करती है । ये नामांकन पत्र श्री कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी,इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को (नाम से) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता-700 016 स्थित मुख्यालय में एक बंद लिफाफे में भेजने चाहिए जिस पर "क्षेत्रीय परिषद के लिए निर्वाचन

2015-2019 हेतु नामांकन पत्र" लिखा हो और ये नामांकन पत्र सोमवार, 23 मार्च, 2015 को सायं 6.00 बजे तक उनके पास पहुंच जाए। नामांकन पत्र को संस्थान की वैबसाइट www.icmai.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 की पूरी जानकारी लेने हेतु संस्थान की वेबसाइट : www.icmai.in को देख सकते हैं। नामांकन पत्र कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम,118 के साथ पठित उक्त नियमावली के उप नियम (3) के अंतर्गत संस्थान की परिषद द्वारा अनुमोदित और नियम 9 में यथा निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा। नामांकन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

किसी क्षेत्रीय परिषद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों को कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के अनुसार 20,000/- रूपए (बीस हजार रूपए केवल) के शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा, जो सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कोलकाता में देय होगा।

किसी क्षेत्रीय परिषद के लिए निर्वाचन हेतु खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को विनियम 118 के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत दायर नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम,1959 के विनियम 118 के साथ पठित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसार जमानत राशि के रूप में 20,000/- रूपए (बीस हजार रूपए केवल) की राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा करनी होगी जो सचिव,इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पक्ष में और और कोलकाता में देय होगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Elections to the Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2015/3.—In pursuance of sub-regulation (2) of Regulation 114 and Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, the Council of the Institute of Cost Accountants of India hereby notifies that the elections to the Regional Councils shall be held in the manner as specified hereunder:

Name of the Regional Council	Number of members to be elected
Western India Regional Council	7(Seven)
Southern India Regional Council	10 (Ten)
Eastern India Regional Council	8 (Eight)
Northern India Regional Council	7 (Seven)
Total:	32 (Thirty two)

The Council invites nomination of candidates, who desire to stand for elections to a Regional Council to be held on 5th & 6th June, 2015. The nominations shall be delivered to Shri Kaushik Banerjee, Returning Officer, The Institute of Cost Accountants of India (By Name), in a closed envelope superscribing on it "Nomination for Regional Council Election 2015-2019" at the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016 so as to reach him not later than 6:00 P.M. on Monday, the 23rd March, 2015. Nomination forms can be downloaded from the Institute's website: www.icmai.in.

Candidates may visit the Institute's website: www.icmai.in for familiarizing themselves with the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006. The nomination shall be in the form approved by the Council of the

Institute under sub-rule (3) and as specified in Rule 9 of the said Rules read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959. Nomination forms can be downloaded from the website of the Institute.

Candidates for elections to a Regional Council shall pay a fee of Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only) by Demand Draft, payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India by virtue of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959.

Every candidate standing for elections to a Regional Council in addition to fee as provided above, shall pay, irrespective of the number of nominations filed under Rule 9 read with Regulation 118, an amount of Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only) by Demand Draft payable at Kolkata, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, as security deposit as per Rule 11 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय परिषदों का गठन

सं. ईएल-2015/4.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद एतद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत दिनांक 20 नवंबर, 2003 के का.आ. 1331(अ) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत अधिसूचित 4 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 114 के उप विनियम (1) के अनुसरण में क्षेत्रीय परिषदों के गठन को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:

क्र.सं. क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम

1 **पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र**
जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

2 **दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र**
जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य और लक्षद्वीप और पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

3 **पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र**
जिसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

4 **उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र**
जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी
[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Constitution of Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2015/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost Accountants of India, hereby notifies the constitution of Regional Councils as under in pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 114 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 for the four Regional constituencies notified by the Central Government vide Notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, sub-section (ii) of Section 3 as S.O. 1331 (E) dated 20th November, 2003 under clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act 1959, namely:

Sl. No.	*Name of the Regional Constituency*
1	**Western India Regional Constituency:** Comprising the States of Chattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
2	**Southern India Regional Constituency:** Comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry;
3	**Eastern India Regional Constituency:** Comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura and West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;
4	**Northern India Regional Constituency:** Comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttaranchal and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के लिए और चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु शुल्क का भुगतान

सं. ईएल-2015/5: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिषद के लिए निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार को, उसके द्वारा नियम 9 के अंतर्गत दायर किए गए नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना, 25,000/- रूपए (पच्चीस हजार रूपए केवल) का शुल्क अदा करना होगा। कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम,1959 के विनियम 118 के साथ पठित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार किसी उम्मीदवार को क्षेत्रीय परिषदों हेतु निर्वाचन के लिए उसके द्वारा नियम 9 के अंतर्गत दायर किए गए नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना 20,000/- रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) का शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा किया जाएगा, जो सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से और कोलकाता में देय होगा।

स्पष्टीकरण:परिषद के लिए निर्वाचन हेतु कोई उम्मीदवार दस से अनधिक संख्या में नामांकन पत्र दायर कर सकता है और नामांकन पत्रों की संख्या पर ध्यान दिए बिना उसे नामांकन पत्र के साथ 25,000/- रू0 की राशि का भुगतान करना होगा।

क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु कोई उम्मीदवार 10 से अधिक संख्या में नामांकन पत्र दायर कर सकता है और नामांकन पत्रों की संख्या पर ध्यान दिए बिना उसे नामांकन पत्र के साथ 20,000 रू. की राशि का भुगतान करना होगा।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी
[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Payment of fee for elections to the Council and elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2015/5.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Cost and Works Accountants Act, 1959, it is hereby notified that a candidate shall pay a fee of Rs. 25,000 (Rupees twenty five thousand only) for elections to the Council, irrespective of the number of nominations that may be filed by him under Rule 9. By virtue of sub-rule (1) of Rule 10 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, a candidate shall pay a fee of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) for elections to the Regional Councils, irrespective of the number of nominations that may be filed by him under Rule 9. The fee shall be paid by Demand Draft, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, payable at Kolkata.

Clarification: A candidate may file any number of nominations not exceeding ten for elections to the Council and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 25,000 along with the nomination. A candidate may file any number of nominations not exceeding ten for elections to the Regional Councils and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 20,000 along with the nomination.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के लिए निर्वाचन और चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु जमानत राशि का भुगतान

सं0. ईएल-2015/6.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम 1959 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसरण में एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 2015-2019 के कार्यकाल हेतु संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार को ऊपर उल्लिखित शुल्क के अलावा उसके द्वारा दायर कराए गए नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना, जमानत राशि के रूप में 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए केवल) की राशि अदा करनी होगी जिसे उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा यदि वह संबंधित क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में नियम 35 में यथापरिभाषित मूल मतों के 2 प्रतिशत से कम प्राप्त करने में विफल रहता है। नियम 11 और विनियम 118 के अनुसार 2015-2019 के कार्यकाल के लिए संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार को ऊपर उल्लिखित शुल्क के अलावा उसके द्वारा दायर कराए गए नामांकन पत्रों की संख्या पर विचार किए बिना जमानत राशि के रूप में 20,000 रूपए (बीस हजार रूपए मात्र) की राशि अदा करनी होगी जिसे उस स्थिति में जब्त कर लिया जाएगा यदि वह संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विनियम 118 के साथ पठित नियम 35 में यथापरिभाषित मूल मतों के 2 प्रतिशत से कम प्राप्त करने में विफल रहता है। यह जमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी जो सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से और कोलकाता में देय होगी।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी
[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Payment of Security Deposit for the elections to the Council and elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India

No. EL-2015/6.—In pursuance of Rule 11 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified under the Cost and Works Accountants Act, 1959, it is hereby notified that in respect of elections to the Council of the Institute for the term 2015-2019, a candidate for election, in addition to fee as provided above, shall pay irrespective of the number of nominations filed, an amount of Rs.20,000 (Rupees twenty thousand only) as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than 2% of the original votes as defined in Rule 35 in the concerned regional constituency. By virtue of Rule 11 and Regulation 118, a candidate for elections to the Regional Councils of the Institute for the term 2015-2019, in addition to fee as provided above shall pay, irrespective of the number of nominations filed, an amount of Rs.20,000 (Rupees twenty thousand only) as security deposit, which shall be forfeited if he fails to secure not less than 2% of the original votes as defined in Rule 35 read with Regulation 118 in the concerned regional constituency. The security deposit shall be paid by Demand Draft, drawn in favour of the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India payable at Kolkata.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

अनुसूची-4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) के प्रयोजनार्थ योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी अधिसूचना

सं. ईएल-2015/7.—निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों से संबंधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची-4 के साथ पठित नियम 9 के उप-नियम (4) और कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 118 के अनुसरण में परिषद ने यह संकल्प किया है कि अनुसूची 4 के खंड (2) के उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ परिषद द्वारा निम्नलिखित योग्यताओं को मान्यता प्रदान की गई है:

(i) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त सभी डिग्रियां।

(ii) व्यावसायिक-दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट/फैलो सदस्यता, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया की एसोसिएट/फैलो सदस्यता, दि चार्टड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स, यू.के. की एसोसिएट/फैलो सदस्यता और दि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स अमरीका का सीएमए प्रमाण-पत्र, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एकाउंटेंट्स, आस्ट्रेलिया की पूर्ण/फैलो सदस्यता तथा चार्टड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्युरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, यू. के. की एसोसिएट/सदस्य स्तरीय सदस्यता।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी
[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

Notification of Recognition of Qualifications for the purpose of Sub-rule (4) of Rule 9 read with Schedule 4

No. EL-2015/7.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 9 read with Schedule 4 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 and Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959 relating

to nominations for elections, the Council has resolved that for the purpose of sub-clause (a) of clause (2) of Schedule 4, the following qualifications have been recognized by the Council :-

i) All degrees awarded by the Universities recognized by Government.

ii) Professional – Associate/Fellow Membership of The Institute of Chartered Accountants of India, Associate/Fellow Membership of The Institute of Company Secretaries of India, Associate/Fellow Membership of The Chartered Institute of Management Accountants, UK and CMA Certification of The Institute of Management Accountants, USA, Full/Fellow Membership of the Institute of Public Accountants, Australia and Associate/Member level Membership of the Chartered Institute for Securities & Investment, U.K.

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

सं. ईएल-2015/8.—कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 6 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 19वीं परिषद और चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के पात्र सदस्यों की सूची (मतदाता सूची) दिनांक 26 फरवरी, 2015 से बिक्री हेतु उपलब्ध है।

नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मतदाता सूची परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित कीमत के भुगतान पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता-700 016 के मुख्यालय; मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और दिल्ली स्थित संबंधित क्षेत्रीय परिषद कार्यालयों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चैप्टर कार्यालयों में बिक्री के लिए उपलब्ध है :

क्षेत्र	**प्रति मुद्रित पुस्तिका की कीमत (रू.)**	**प्रति सी डी कीमत (रू.)**
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00	150.00
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00	150.00
पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00	150.00
उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	400.00	150.00

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी
[विज्ञापन–III/4/असा./71]

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

No. EL-2015/8.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 6 of the Cost and Works Accountants of India (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the list of members eligible to vote (list of voters) from the various constituencies for elections to the Nineteenth Council and the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India is available for sale with effect from 26th February, 2015.

In pursuance of sub-rule (3) of Rule 6, the list of voters is available for sale on payment of price fixed by the Council as mentioned below from the Headquarters of The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700016, the respective Regional Council offices at Mumbai, Chennai, Kolkata & Delhi and the Chapter offices of the Institute of Cost Accountants of India:

Region	**Price per printed book (Rs.)**	**Price per CD (Rs.)**
Western India Regional Constituency	400.00	150.00
Southern India Regional Constituency	400.00	150.00
Eastern India Regional Constituency	400.00	150.00
Northern India Regional Constituency	400.00	150.00

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

अधिसूचना

कोलकाता, 16 फरवरी, 2015

सं. ईएल-2015/9 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 118 के साथ पठित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम,2006 के नियम 41 के उप-नियम (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद ने परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा निर्धारित की है :

निर्वाचन	व्यय **(रु.)**
परिषद	6,00,000/-
क्षेत्रीय परिषदें	3,50,000/-

विनियम 118 के साथ पठित नियम 41 के उप नियम (2) के अनुसरण में परिषद और क्षेत्रीय परिषदों हेतु निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नियम 36 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में निर्वाचन के लिए किए गए व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा। परिषद द्वारा यथा अनुमोदित प्रपत्र संस्थान की पत्रिका में मुद्रित है और ये संस्थान वैबसाइट www.icmai.in पर भी उपलब्ध हैं।

विनियम 118 के साथ पठित नियम 41 के उप-नियम (2) के अनुसरण में यथासंशोधित कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की पहली अनुसूची के भाग **IV** की मद (2) के अंतर्गत किसी सदस्य को संस्थान की प्रतिष्ठा को कम करने वाला माना जाएगा, यदि संस्थान की परिषद के लिए किसी चुनाव के संबंध में उसे उप-नियम (1) या उप नियम (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है।

कौशिक बनर्जी, निर्वाचन अधिकारी

NOTIFICATION

Kolkata, the 16th February, 2015

No. EL-2015/9.—The Council in exercise of the powers vested under sub-rule (1) of Rule 41 of the Cost and Works Accountants of India (Election to the Council) Rules, 2006 read with Regulation 118 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959 has fixed the following ceiling of expenditure to be incurred by a candidate for elections to the Council and the Regional Councils:

Election	**Expense (Rs.)**
Council	6,00,000/-
Regional Councils	3,50,000/-

In pursuance of sub-rule (2) of Rule 41 read with Regulation 118, every candidate for elections to the Council and the Regional Councils shall file an account of expenses incurred for the election in the format approved by the Council within fifteen days of notification issued under Rule 36. Formats as approved by the Council are printed in the Journal of the Institute and also available on the Institute's website www.icmai.in.

In pursuance of sub-rule (3) of Rule 41 read with Regulation 118, a member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended if, in connection with an election to the Council of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2).

KAUSHIK BANERJEE, Returning Officer
[ADVT.-III/4/Exty./71]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.